'प्रोसीक्यूटर के पदों पर मनमाने तरीके से नियुक्ति पर रोक लगाएं'

हाईकोर्ट में प्रोसीक्यूशन ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर कर गुहार की है, जिस पर अदालत ने कानून व गृह विभाग से जवाब तलब किया

- याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रोसीक्यूटर के पदों पर नियुक्ति के लिये कानून विभाग द्वारा जिला न्यायाधीशों और कलेक्टरों से अधिवक्ताओं की सिफरिश लेने की पुरानी प्रथा पर रोक लगाएं, क्योंकि इसमें योग्यता को नहीं देखा जाता है बल्कि केवल और केवल राजनैतिक व असंगत लाभों के कारण ही नियुक्ति की जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें गंभीर टिप्पणी कर चुका है
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के लागू होने से पहले से ही राज्य में 'राजस्थान प्रोसीक्यूशन सर्विसेज रूल्स-1978' और 'राजस्थान प्रोसिक्यूशन सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स-1978' लागू रहे हैं और नये कानून के तहत केवल काडर में से ही प्रोसीक्यूटर्स को नियुक्ति दी जा सकती है और रिक्त पदों को केवल पदोन्नति से ही भरा जा सकता है।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून विभाग की ओर से असाधारण परिस्थितियों का वर्णन किये बगैर 31 जनवरी 2024 को प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश भेजें जिससे वह पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स नियुक्त करें।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स एसोसिएशन (आर. पी. ओ. ए.) की अध्यक्ष, प्रतिभा पुरोहित, की ओर से रिट याचिका दायर कर अदालत से गुहार की गई है कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एडीशनल प्रोसीक्यूटर और स्पेशल प्रोसीक्यूटर के पदों पर नियुक्ति के लिये कानून विभाग द्वारा जिला न्यायाधीशों और कलेक्टरों से अधिवक्ताओं की सिफरिश लेने की पुरानी प्रथा पर रोक लगाएं। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में कहा गया कि नई कानून व्यवस्था के तहत जिन राज्यों में 'प्रोसीक्यूटिंग ऑफिसर' (यानी अभियोग चलाने वाले अधिवक्ताओं) का काडर हो तो राज्य सरकार उस काडर में से ही 'प्रोसीक्यूटर्स' नियुक्त कर सकती है। याचिका के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-18 व इसके नियम स्पष्ट कहते हैं कि 'पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स' की नियुक्ति उसके लिये बने काडर से ही हो और सभी रिक्त पद 'प्रमोशन' (पदोन्नति) से ही किये जाये। न्यायाधीश अनिल उपमन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार 'प्रिंसीपल लॉ सेक्रेटरी' और 'एडीशनल चीफ सेक्रेटरी (होम)' तथा अन्य संबंधित पार्टियों से जवाब तलब किया है।

दरअसल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के लागू होने से पहले से ही राज्य में 'राजस्थान प्रोसीक्यूशन सर्विसेज रूल्स-1978' और 'राजस्थान प्रोसिक्यूशन सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स-1978' लागू रहे हैं। यानी राजस्थान में कई वर्षों से 'पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स' का काडर बना हुआ है और उन्हें नियमानुसार रिक्त पदों को 100 प्रतिशत 'प्रमोशन' करके ही भरना होता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 18(3) के तहत असाधारण परिस्थितियों में ही, जैसे किसी भी उपयुक्त व्यक्ति का ना मिलने की स्थिति में, राज्य सरकार काडर के बाहर से 'पब्लिक प्रोसीक्यूटर' के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून विभाग की ओर से सभी नियम कायदों को दरकिनार करते हुए और बिना असाधारण परिस्थितियों का वर्णन किये बगैर 31 जनवरी 2024 को प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं का पैनल बनाने को कहा जो राज्य सरकार को अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश भेजें जिसे वह पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एडीशनल प्रोसीक्यूटर और स्पेशल प्रोसीक्यूटर के पदों पर नियुक्त करें।

याचिकर्ता का कहना है कि काडर के बाहर से अधिवक्ताओं को प्रोसीक्यूटर के पद पर नियुक्त करने की प्रथा बिलकुल ही अपारदर्शी है और मनमाने तरीके से की जाती है, जिसमें केवल और केवल राजनैतिक व असंगत लाभों के कारण ही नियुक्ति की जाती है। अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिला स्तरीय सरकार अधिवक्ता भी अनुबंध के आधार पर कार्य नहीं करते हैं और न्यायिक अधिकारी होते हैं। इसलिये जिला स्तरीय अधिवक्ता व 'पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स' सार्वजनिक कार्यालय में पद ग्रहण करते हैं, इसलिये राज्य सरकार मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति की वहां पर नियुक्ति नहीं कर सकती।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 23 मई को आर. पी.ओ.ए. ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि वे मनमाने तरीके से कानून की अवहेलना करते हुए पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एडीशनल प्रोसीक्यूटर और स्पेशल प्रोसीक्यूटर के पदों पर नियुक्ति न करें, परंतु पत्र लिखे जाने के बाद ना तो उन्होंने कोई जवाब दिया बल्कि प्रक्रिया को स्थगित भी नहीं किया और 26 जून को विभिन्न जिला न्यायाधीशों और कलेक्टरों के बनाये गये पैनल से अधिवक्ताओं के नामों की सूची को मंगाया और नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। याचिकाकर्ता ने कानून विभाग द्वारा जारी पत्र जिनसे प्रोसीक्यूटर्स के पदों को भरने के लिये सुझाव मांगे गये हैं, उसे रद्द करने की भी गुहार की है। मामले को सुनने के बाद अदालत ने इसमें चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है और संबंधित पार्टियों से जवाब तलब किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रीपरिषद के सदस्यों एवं विधायकों के साथ मंगलवार को जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित 'एंटरटेनमेंट पैराडाइज' मल्टीप्लेक्स में महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के संघर्ष एवं बलिदान पर आधारित फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौर व अन्य विधायक भी उपस्थित रहे।

प्रदेश के विकास में भी सिख समाज का महत्वपूर्ण योगदान : भजनलाल

- सिख समाज के लिए बजट घोषणाओं पर धन्यवाद सभा

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सिख धर्म हमें जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अपनाने की सीख देता है। यह सिद्धांत हमें आत्मनिर्भरता और कर्मठता का महत्व भी समझाता है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय द्वारा गुरूद्वारों में निःशुल्क भोजन सेवा उनके सेवा भाव का उत्कृष्ट उदाहरण है।

प्रदेश के विकास में भी सिख समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिख समाज से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरु नानकदेव जी ने जात-पात और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और सभी मनुष्यों को एक समान बताया। सिख धर्म में स्त्रियों और पुरुषों के बीच समानता पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह धर्म हमें दूसरों की रक्षा का पाठ भी पढ़ाता है। सिख योद्धाओं की वीरता और बलिदान इतिहास में अनमोल है। जब-जब भी देश पर आताताियों का आक्रमण हुआ सिख समाज ने मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए घोषणाएं की हैं। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली बाईपास स्थित तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा-जयपुर तथा बुड्डा जोहड़ गुरुद्वारा-अनूपगढ़ में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि सिख गुरूओं ने अपनी वाणी से समाज के वंचित और असहाय वर्ग की सेवा का संदेश दिया है। उनके संदेश को अपनाते हुए हमें आस-पास के ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सरोकार में भागीदारी करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमें प्रेरणा दी है। उनके द्वारा चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 7 अगस्त को प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। शर्मा ने सिख समाज के लोगों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आवन किया।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री का सम्मान करते हुए उन्हें पगड़ी बांधी तथा गुरू गोविंद सिंह जी की तस्वीर व तलवार भेंट की। कार्यक्रम में विधायक श्री गुरवीर सिंह सहित राज्य के विभिन्न गुरूद्वारों के प्रधान, जत्थेदार एवं सिख समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

भाकर छह महीने के लिए सस्पेंड

कांग्रेस बोली, ''सड़क तक करेंगे विरोध''

- निलंबन के बावजूद सदन नहीं छोड़ने के कारण भाकर पर हुई कार्यवाही
- कांग्रेस ने मांगा कानून मंत्री का इस्तीफा

जयपुर, (वि.सं.)। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े टकराव के साथ खत्म हो गया। एक दिन पहले मुकेश भाकर के निलंबन के कारण बना गातिरोध खत्म होने के बजाय ज्यादा बढ़ गया और स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। सदन में कानून मंत्री के बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाने के विषय पर बहस को लेकर सोमवार से लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी। दूसरे दिन कांग्रेस ने कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग की।

मुकेश भाकर को निलंबित करने के तत्काल बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष के विधायक सदन में लगातार नारेबाजी करते रहे। इससे पहले सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भाकर को छह महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्पीकर ने तत्काल मंजूर कर दिया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को छह महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि भाकर को 5 अगस्त को निलंबित करने के बाद सदन से चले जाना चाहिए था। स्पीकर ने उन्हें बार-बार सदन से जाने को कहा, लेकिन उन्होंने आदेशों की अवहेलना की।

विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 292-3 में यह प्रावधान है कि निलंबित विधायक को तत्काल सदन की सीमाओं से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन भाकर ने अब तक ऐसा नहीं किया। पूरा प्रतिपक्ष उन्हें संरक्षण दे रहा है। ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले को इस सदन का सदस्य रहने का हक नहीं है।

इस कार्यवाही के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुकेश भाकर के छह महीने के निलंबन पर नाराजगी जताई। भाजपा का कहना है कि गलती मानने के बजाए भाकर आसन को झुकाने का प्रयास कर रहे थे। निलंबन में बाद मुकेश भाकर ने कहा कि भाजपा और भाजपा सरकार के दबाव में स्पीकर ने यह असंवैधानिक फैसला लिया है। भाकर ने कहा कि यह फैसला भाजपा के दबाव में लिया गया। हम कानून मंत्री के बेटे की गलत तरीके से नियुक्ति के बारे में बात करना चाहते थे। पहले स्पीकर ने कहा कि आप सीट पर जाएं, में व्यवस्था देता हूं। हम सीट पर गए तो स्पीकर ने कहा कि आप लिखित में दीजिए, मैं परीक्षण करके कल समय दूंगा। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो भाजपा नेता बीच में खड़े होकर बोलने लगे। मैंने विधायकों से कहा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आपको अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर पहले से यह तय करके आए थे। भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे हैं। भाजपा सरकार विधानसभा में पूरी तरह से फेल हो रही है। उसे कैसे बचाया जाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ले रखी थी। जिस तरह से बिना वोटिंग और जल्दबाजी में कल निलंबित किया गया। आज भी जल्दबाजी में असंवैधानिक तरीके से सस्पेंशन किया गया। अब हम सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे।

सदन स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जोगेश्वर गर्ग के आरोपों पर कहा कि पता नहीं मार्शल को मुकेश ने काटा है या उन्हीं के सदस्यों ने काट खाया है। जिस प्रकार का गतिरोध सदन में बना। हमारी महिला सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की हुई है। हमारे कई सदस्यों के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। सदन से निलंबन पहले भी होता आया है, लेकिन इसकी एक मर्यादा होती है। मार्शल धक्का-मुक्की नहीं कर सकते। नियम है कि वो सदस्य को हटाकर वहां से ले जा सकते हैं, जो उन्होंने किया वो गलत है और अब हमारे सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं, यह सरासर गलत है। जूली ने कहा कि भाजपा हमेशा बाबा साहब के बने संविधान का अपमान करती है। दिल्ली के बाद यहां भी ऐसा ही किया है। हम इस मामले को लेकर सड़क पर विरोध करेंगे, ओर ब्लॉक स्तर तक मामले को लेकर जाएंगे। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस का धरनाजारी रहा।

आरजेएस भर्ती परीक्षा में शामिल करने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस भर्ती-2024 में एसटी विधवा वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करे। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस गणेश मीणा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनीता मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने राजस्थान न्यायिक सेवा के 222 पदों के लिए इस साल भर्ती निकाली है। जिसकी प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद 31 अगस्त को मुख्य परीक्षा होनी है। भर्ती में 24 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इनमें से आठ पद एसटी महिला के लिए आरक्षित रखे गए है। वहीं इन आठ पदों में से तीस फीसदी पद एसटी विधवा और तलाकशुदा कोटे के लिए आरक्षित होने चाहिए, लेकिन इस कोटे के लिए अलग से कोई पद नहीं रखे गए। याचिका में बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में याचिकाकर्ता के 46 अंक आए है, जबकि सामान्य विधवा वर्ग की कट ऑफ 45 अंक हैं। वहीं हाईकोर्ट प्रशासन ने एसटी विधवा और तलाकशुदा वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी ही नहीं की। ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन ने आरक्षण के प्रावधानों की अवहेलना की है। याचिकाकर्ता के अधिक अंक होने के कारण उसे मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करने को कहा है।

निलम्बित सदस्य आसन के निर्देशों के बावजूद सदन में बैठे रहे

अन्ततः अध्यक्ष ने दुःखी मन से विधायक भाकर को छः माह के निलम्बित किया

- प्रतिपक्ष द्वारा निलम्बित सदस्य को सुरक्षा देकर आसन के आदेशों की अवहेलना कर सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाई, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा : देवनानी

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधान सभा सदन में मंगलवार को भी प्रतिपक्ष ने आसन के आदेशों की अवहेलना कर पवित्र सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाई। देवनानी ने कहा कि उन्होंने आसन से बार-बार निलम्बित सदस्य को सदन से बाहर भेजने के लिए कहा। प्रतिपक्ष ने आसन के निर्देशों को नकारा और निलम्बित सदस्य को सदन में सुरक्षा दी और उसे बाहर नहीं भेजा बल्कि उसे घेर कर सदन में जमे रहे।

देवनानी ने नियमों के विपरीत प्रतिपक्ष के व्यवहार को लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं और समृद्ध संसदीय परम्पराओं की अवहेलना बताया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दस बार नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों को सदन में बैठने के लिए भी अनुरोध किया गया। देवनानी ने प्रतिपक्ष द्वारा आसन के निर्देशों की अवहेलना को बेहद दुःखद बताया है। उन्होंने कहा कि सदन में किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटे इसके लिए उन्होंने निलम्बित सदस्य को सदन से बाहर निकालने के लिए मार्शल भी नहीं बुलाया। देवनानी ने कहा कि जब तक वे आसन पर रहेंगे तब तक वे आसन की मान मर्यादा और गरिमा को बनाये रखेंगे। विधानसभा जैसे पवित्र व गरिमापूर्ण सदन को प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अमर्यादित और असंवैधानिक आचरण से ठेस पहुँचाई है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रतिपक्ष द्वारा निलम्बित सदस्य का बचाव करना बेहद निन्दनीय व अशोभनीय है। देवनानी ने कहा कि आसन द्वारा बार-बार प्रतिपक्ष को अनुरोध किये जाने के बाद भी निलम्बित सदस्य को बाहर नहीं भेजा जाना, आसन के निर्णय की सरासर अवहेलना है। देवनानी ने कहा कि उनके अनुरोध को प्रतिपक्ष ने नकारा।

अन्ततः उन्हें दुःखी मन से सदस्य को छः माह के लिए निलम्बित किये जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह निर्णय उनके लिए मानसिक पीड़ा देने वाला है। उन्होंने कहा कि सत्र में प्रतिपक्ष नेता और प्रतिपक्ष सदस्यों ने अनेक बार असंसदीय व्यवहार किया और गतिरोध बनाया, बाद में अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष का यह व्यवहार असंवैधानिक और अनैतिक था। देवनानी ने कहा कि आसन असंसदीय और अशोभनीय आचरण को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और नैतिकता उनके व्यवहार में रची-बसी हुई है। सदन में प्रतिपक्ष की आज भी अमर्यादित और अनैतिकता वाले व्यवहार को देखकर वे दुःखी हुए।

प्रतिष्ठित मिठाई दुकानों पर निरीक्षण कर सैम्पल लिए

जयपुर। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण कार्यवाही की गई।

अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने खाद्य कारोबारियों के यहां निरीक्षण एवं नमूने लिए। मैसर्स जे ओबेरॉय स्वीट्स, टोंक रोड से पिस्ता बर्फी, काजू, और बादाम कटिंग का नमूना लिया गया। यहां निर्माण इकाई पर काफी गंदगी पाई गई तथा चूहे घूमते हुए पाए। जंग लगी अलमारियों में प्लास्टिक की थैलियों में सामान रखा हुआ था। एक्सपायरी डेट की सामग्री भी काम मे ली जा रही थीं। चासनी में मच्छर, चींटे आदि मिले। यहां से कई सैम्पल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। इसी प्रकार मैसर्स कन्हैया लाल हलवाई, सांगानेर से मिल्क केक, पनीर, ग्रेवी और मावा का नमूना लिया गया, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

जयपुर, (वि.सं.)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र को मंगलवार को दोपहर 1:53 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

स्व.भाभड़ा को पुष्पांजलि दी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को पूर्व विधान सभा अध्यक्ष स्व हरि शंकर भाभडा को उनकी जयन्ती पर पुष्पाजंलि अर्पित की।

दिव्यांगों को राशन वितरण 11 को

जयपुर। महावीर इंटरनेशनल एसोसिएशन भवन जयपुर की ओर से प्रत्येक माह के द्वितीय रविवार को दिव्यांग परिवारों को राशन वितरण और भोजन करवाया जाता है। इसी कड़ी में 11 अगस्त को प्रातः 10.30 बजे राशन वितरण व भोजन का कार्यक्रम प्रभुनारायण अग्रवाल, मैसर्स प्रिंटओलैंड जयपुर व उनके परिवार की ओर से रखा गया है।

पर्यटकों को मिले अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ : दिया कुमारी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन, पुरातत्व तथा धार्मिक स्थानों का सुनियोजित विकास कार्य किये जाने के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए की गुणवत्तापूर्ण कार्य के आधार पर राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ उपलब्ध हो इसे लक्षित करके ही पर्यटन विकास के कार्यों को मूर्त रूप दिया जाए।

दिया कुमारी के समक्ष मंगलवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग की निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा के द्वारा आरटीडीसी की प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल की उपस्थिति में पर्यटन यूनिट नीति-2024 के संभावित बिंदुओं सहित बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बेहतर काम करने के लिए एजेंसियों का पारदर्शिता से चयन किये जाने की प्रक्रिया अपनाएं जाने के भी निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग से सम्बन्धित सभी बजट घोषणाओं की द्रुत गति से क्रियान्विति के लिए भी निर्देश दिए। इसके साथ ही विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा कर सहमति प्रदान की। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणाओं के बिन्दुओं में उल्लेखित श्री खाटूश्याम जी, श्री महावीर जी तथा अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों का पूर्ण भव्यता और सुनियोजित रूप से जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जमवाय माता मन्दिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर का पूर्ण भव्यता से जीर्णोद्धार किये जाने के निर्देश दिए।

विरासत से विकास में दिखेगा दस्तकारों का हुनर

जयपुर, (का.सं.)। देशभर में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाएगा। यह दिवस है दस्तकारों के हुनर को सलाम करने का। इसी के साथ 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। दोनों ही उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जवाहर कला केंन्द्र की ओर से अतुल्य अगस्त प्रोग्राम के तहत 11 से 17 अगस्त तक अलंकार दीर्घा में विरासत से विकास एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में हैंडलूम की विरासत को देशभर से सहेजकर यहां प्रदर्शित किया जाएगा, इससे हैरिटेज आर्ट के विकास का क्रम देखने को मिलेगा।

छात्रसंघ चुनाव करवाने के लिए सड़कों पर विरोध करने उतरे विद्यार्थी, पुलिस ने घसीटा

राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अपना मुंह काला करके दंडवत लेटकर विरोध जताया

- प्रदर्शन में एनएसयूआई, एसएफआई, आरएलपी, निर्दलीय समेत विभिन्न छात्र संगठनों के छात्र शामिल रहे।

जयपुर, (कासं)। छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में विभिन्न छात्र संगठनों ने चुनाव की तारीख का ऐलान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी कैंपस में सरकार का पुतला फूंका।

वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्र जब यूनिवर्सिटी से बाहर आने लगे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए सड़क पर बैठे छात्रों को घसीटा। इतना ही नहीं जब छात्रों ने विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने पन्द्रह से ज्यादा छात्रों को जबरदस्ती उठाकर हिरासत में ले लिया। यहां तक कि छात्रों ने अपना मुंह काला करके दंडवत विरोध प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में एनएसयूआई, एसएफआई, आरएलपी, निर्दलीय समेत विभिन्न छात्र संगठनों के छात्र शामिल रहे। वहीं जानकारी में सामने आया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी।

जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों ने धरने की शुरुआत की। जहां करीब एक घंटा धरना देने के बाद छात्रों ने सरकार का पुतला फूंका। इसके बाद दोपहर बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर आने की कोशिश कर गेट के पास टायर में आग लगा दी। जहां मौजूद पुलिस जाब्ते ने छात्र महेश चौधरी, मोहित यादव, राहुल महला समेत पन्द्रह से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। पन्द्रह से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लेने के बाद कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी में चेहरा काला कर प्रदर्शन किया। इन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात है। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में रैली निकाल कर अलग-अलग ब्लॉक बंद कर दिए। छात्र नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि वह गांधीवादी तरीके से अपना मुंह काला करके यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन कर रहे थे। वह चाहते हैं कि पुलिस हमारे साथियों को रिहा कर दे। लेकिन पुलिस ने बेवजह हमें ही पकड़ लिया है। जो सरासर गलत है। हम चुप रहने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार छात्रसंघ चुनाव की घोषणा नहीं करेगी। हमारा विरोध जारी रहेगा।

छात्र नेता महेश चौधरी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अगर समय रहते चुनाव का ऐलान नहीं किया तो आने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। एनएसयूआई छात्र नेता शिवराज पचेरवाल ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव आम छात्रों की आवाज है, जब तक सरकार चुनाव की घोषणा नहीं करेगी, हमारा विरोध जारी रहेगा। गौरतलब है कि राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पिछले साल छात्रसंघ चुनाव स्थगित करने का फैसला किया था। इसके बाद प्रदेश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन चल रहा है।

मदन राठौड़ ने अतिवृष्टि वाले इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिये

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के साथ आमजन से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। राठौड़ ने जिला कलेक्टर्स, संभागीय आयुक्त के साथ भाजपा जिलाध्यक्षों को भी जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उचित प्रबंध करने के लिए निर्देशित किया है।

राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में पाली, बूंदी, जैसलमेर, बाडमेर सहित अन्य जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए। कन्हीं कुछ कॉलोनियों में पानी की समुचित निकासी नहीं होने के चलते संपूर्ण कॉलोनी में पानी भर गया, ऐसे में पानी निकासी के लिए उचित प्रबंध करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि पाली के संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन टीम तैयार करने के साथ जोधपुर जाने वाली नहर में पानी निकासी के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए। भाजपा सरकार आपदा की इस घड़ी में नागरिकों के साथ हैं और प्रदेशवासियों की सुरक्षा भाजपा के लिए सर्वोपरि है।